छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 202/2006</u>

श्री नितिन सिंघवी, एम.आई.जी. 59, सेक्टर–1, शंकरनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	अपीलार्थी
	विरूद्ध	
जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(05 अगस्त 2006)

श्री नितिन सिंघवी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 9–3–2006 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी नितिन सिंघवी ने आवेदन पत्र दिनांक 12–1–2006 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता योजना से दिनांक 9–8–2005 को लिखित ब्त्ण्डण्ठण के नोटशीट पैरा क्रमांक–3 एवं प्त्ण्ब्ण 53 के संबंध में जानकारी चाही थी। प्त्ण्ब्ण के कुछ पेज की प्रतिलिपि चाही गई थी, जिसमें कि डवकपपिमक ठपजनउमद के मिक्सिंग एवं रोलिंग का तापमान ब्वदअमदजपवदंस ठपजनउमद से थोड़ा अधिक होगा। साथ ही तीन अन्य बिन्दुओं से संबंधित जानकारी चाही थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 17–2–2006 के द्वारा बिन्दुवार तीन बिन्दुओं की जानकारी चार पृष्ठों पर दी गई, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने जिस आधार पर नोटशीट लिखी गई उसकी जानकारी चाही। जन सूचना अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष उल्लेख किया कि अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी की कंडिका–3 के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। किन्तु अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार्य नहीं है कि लिखी गई नोटशीट का कोई आधार नहीं है तथा यह मनगढ़ंत ढंग से लिखी गई है। अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश दिनांक 9–3–2006 के द्वारा अपीलार्थी के अपील अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रतिअपीलार्थी को आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि केवल बिन्दु क्रमांक–3 की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं दी जा सकी है तथा शेष जानकारी अपीलार्थी को दी जा चुकी है। मेरे द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के तर्कों को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने तर्क में यह बताया कि मुख्य अभियंता ने नोटशीट में उल्लेख किया है कि जहां ब्त्ण्डण्ठण का उपयोग किया जाता है वहां वायरल का तापमान 170^{0}से. से 180^{0}से. से एग्रीगेट का तापमान 145^{0}से. से 165^{0}से. से, मिक्स का तापमान 130^{0}से. से 150^{0}से., रोलिंग के समय तापमान 115^{0}से. से 135^{0}से. होना चाहिये। इसके अलावा मिक्स बिछाते समय एवं रोलिंग के समय विस्कासिटी भी निर्धारित मापदण्ड में होना चाहिये। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भूल होती है तो ब्त्ण्डण्ठण से किया गया कार्य 60 / 70 से सम्पादित किये गये कार्य से ज्यादा खराब होगा। यह टीप किस आधार पर दी गई, अपीलार्थी उसकी जानकारी चाहता है। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क कि जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है संतोषजनक नहीं है। किसी तकनीकी अधिकारी के द्वारा जब किसी वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में निष्कर्ष दिया जाता है, तो उसका कोई कारण एवं आधार होना चाहिए। इस संबंध में यदि किसी तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट अथवा अध्ययन जिसके आधार पर टीप लिखी गई है वह अपीलार्थी को प्रदान की जाना चाहिए अथवा स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को यह सूचित किया जाना चाहिए कि संबंधित टीप के संबंध में कोई प्रमाणित तथ्य उपलब्ध नहीं है तथा टीप संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत अभिमत है।

ऐसा प्रतीत होता है कि टीप लिखने वाले अधिकारी के द्वारा अपने विवेक से टीप लिखी गई है तथा टीप के आधार स्पष्ट नहीं किये गये हैं। विकास कार्यों के लिए किस आधार पर निर्णय लिया गया है इसको जानने का अधिकार जन–सामान्य को है। अपीलार्थी के द्वारा अन्य प्रकरणों में भी इन्हीं आधारों की जानकारी चाही गई है कि उपयोग में लाये गये डामर का चयन किस आधार पर किया गया तथा ब्त्ण्डण्ठण का चयन किस आधार एवं कारणों से नहीं हुआ। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका उपयोग कर रहा है।

यह प्रकरण विकास से संबंधित जानकारी का है तथा इसकी जानकारी एवं लिये गये निर्णयों का आधार एवं कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस प्रकरण तथा इससे संबंधित अपीलार्थी के अन्य प्रकरणों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुख्य अभियंता द्वय योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की टीप एवं उस पर प्रमुख अभियंता की टीप अनुपलब्ध आधार एवं कारणों के लिखी गई है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा चाही गई जानकारी अनुपलब्धता के कारण नहीं दिये जाने का तर्क मान्य नहीं है। यदि लिखे गये तथ्य का आधार अनुपलब्ध था तो टीप किस आधार पर लिखी गई। इतने वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि नोटशीट में वे जो मत देते हैं उसका आधार उनके पास लिखित में होना चाहिए व उसे देनी चाहिए अन्यथा उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए कि उन्होंने बिना किसी तकनीकी आधार के यह मत दिया था। अतः अब इस प्रकरण में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस प्रकरण के संबंध में तथ्यों की जाँच करें तथा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार के अंतर्गत विकास संबंधी कार्यों हेतु लिये गये निर्णयों का आधार विभागीय अधिकारियों से स्पष्ट करावें। चूंकि सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध सूचना

आवेदक को विलम्ब से 20–3–2006 को दी गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आवेदक ने प्रत्यक्ष रूप से जानकारी लेने से इंकार किया तथा जानकारी को डाक के द्वारा भेजे जाने हेतु उल्लेख किया गया। अपीलार्थी को डाक से समय पर ही जानकारी भेजी जाना चाहिए थी। विलम्ब से सूचना भेजी गई, जिससे अपीलार्थी को मानसिक यातना एवं आर्थिक क्षति हुई है। अतः अपीलार्थी को लोक निर्माण विभाग के द्वारा 500/– रूपए (पांच सौ रूपए मात्र) क्षतिपूर्ति प्रदान की जावे। चूंकि कार्यालय में चाही गई जानकारी उपलब्ध होना नहीं बतलाया गया है, अतः जन सूचना अधिकारी को अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को आदेश की प्रति आदेश में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए भेजी जा रही है।

अपीलार्थी की अपील उक्त निर्देशों के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त